

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-276 / 17
संस्थापित दिनांक-22.08.2017
Filling No-RCT/630/2017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केद्र थाना चंदेरी,
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

-----अभियोगी ।

बनाम

सीताराम पिता खेतसिंह लोधी, उम्र-38 वर्ष,
निवासी ग्राम-देवलखो, थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 05.06.2018 को घोषित)

01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 457 के अंतर्गत दिनांक 04.08.2017 को समय 23:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम देवलखो में फरियादी/आहत के घर में रात्रि में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया एवं फरियादी/आहत सुशीलाबाई जो कि एक स्त्री है, अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप है।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोक्त्री एवं अभियुक्त मध्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 में दिनांक 04.06.18 को न्यायालय में राजीनामा हो जाने से उक्त धारा में आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम देवलखो में घटना दिनांक 04.08.2017 को शाम को वह खाना खाकर वह टपरे में सो रही थी बच्चियां बगल वाले घर में सो रही थी। रात को करीब 11 बजे आरोपी सीताराम ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उठाया और बोला कि चल मक्का में चले तो अभियोक्त्री चिल्लाई और उसकी लडकी वंदना एवं नीता जाग गयी। अभियुक्त आहत की पीठ में लात मारकर भाग गया तथा उसके पति के वापिस आने पर उसने घटना बतायी। उसके बाद दिनांक 05.08.17 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 अभियोक्त्री द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरा घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-2 बनाया गया। फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण की आहत सुशीलाबाई साक्षी शिखरचंद, वंदना, नीता के कथन लेखबद्ध किये गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 457 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग करने का अभिवाक् अंकित किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध घटना के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों से कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं हुयी, जिससे अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी/आहत के घर में रात्रि में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष:-

06. अभियोजन साक्षी सुशीलाबाई (अ.सा.-01) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि अभियुक्त उसे घर के बाहर खड़ा होकर गालियां दे रहा था और जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी। इसके अतिरिक्त ओर कोई घटना आरोपी द्वारा उसके साथ नहीं की थी। स्वयं आहत द्वारा अभियोजन का घटना का समर्थन न करने पर अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें घटना के संबंधित सभी सुझावों को आहत ने पूर्णरूप से अस्वीकार किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 व पुलिस कथन प्रपी-2 के ए से ए भाग को भी पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस कथन में आरोपी द्वारा फरियादी के साथ उसके घर में घुसकर लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने के कथन लेख है जिसे स्वयं आहत ने बताये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार स्वयं आहत ने घटना के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है तथा मारपीट के संबंध में आहत व आरोपी के मध्य राजीनामा हो चुका है।

07. प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी वंदना (अ.सा.-03), नीता (अ.सा.-04) एवं साक्षी शिखर चंद (अ.सा.-02) ने भी घटना के संबंध में अभियोजन की घटना के संबंध में समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षियों को भी घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये गये किंतु उक्त साक्षियों द्वारा दिये गये सभी सुझावों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है, जबकि उक्त सभी साक्षी आहत के पुत्रियां व पति होकर परिवार के सदस्य है। जिनके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण

नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के आहत व चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने आहत के घर में रात्रि के समय घुसकर प्रच्छन्न ग्रह अतिचार कर लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया है।

08. उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त सीताराम को धारा 354, 457 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09. अभियुक्त का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

10. अभियुक्त के धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र को छोड़कर जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)